भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 56

दिनांक 20 जुलाई, 2018 को उत्तर के लिए

बलात्कार और एसिड हमले के पीड़ित

*56. डा॰ हिना विजयकुमार गावीतः

श्री धनंजय महाडीकः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हाल के वर्षों में बलात्कार और एसिड हमले की घटनाओं/मामलों में वृद्धि हुई है और इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो उसे दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बलात्कार/एसिड हमले की पीड़ितों को राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु कोई तंत्र स्थापित किया है तथा इन पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष निधि बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उससे पुनर्वासित की गई महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश में इन पीड़ितों के लिये पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में राज्यों से चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(ङ) इन पीड़ितों को पर्याप्त एवं समय पर राहत/पुनर्वास प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

बलात्कार और एसिड हमले के पीडित के बारे में डा. हिना विजयकुमार गावीत तथा श्री धनंजय महाडीक द्वारा दिनांक 20.07.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संदर्भ में विवरण ।

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटा के अनुसार बलात्कार (आईपीसी की धारा 376) के अंतर्गत वर्ष 2015 में कुल 34,651 तथा वर्ष 2016 में कुल 38947 मामलों की रिपोर्ट की गई थी । एसिड हमले (आईपीसी की धारा 326क) के अंतर्गत वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 में क्रमश: कुल 140 तथा 160 मामले दर्ज़ किए गए हैं । साथ ही, महिलाओं पर एसिड हमले के प्रयास सहित महिलाओं पर एसिड हमले (आईपीसी की धारा 326ख) के अंतर्गत वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 में क्रमश: कुल 30 तथा 46 मामले दर्ज़ किए गए हैं । मामलों की रिपोर्ट करने में वृद्धि का रूझान है ।

(ख) से (घ) : आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के अनुसार केन्द्र के साथ समन्वय करके प्रत्येक राज्य सरकार पीड़ित अथवा उस पर आश्रित, जिसे अपराध के परिणामस्वरूप हानि हुई है अथवा चोट लगी है और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजा देने के उद्देश्य के लिए निधि मुहैय्या कराने हेतु एक पीड़ित मुआवजा स्कीम तैयार करेगी । सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों ने क्रमश: अपने-अपने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश में पीड़ित मुआवजा स्कीम अधिसूचित की है । केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा स्कीम (सीवीसीएफ) के तहत वर्ष 2016-17 में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपने-अपने राज्य पीड़ित मुआवजा स्कीम का समर्थन करने के लिए एक बार के अनुदान के लिए 200.00 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता रिलीज कर दी है । इस स्कीम के अंतर्गत एसिड हमले के पीड़ित को कम से कम 3.00 लाख रूपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दवाईयों, आहार, बिस्तर तथा पुनर्निर्माण सर्जरी सहित एसिड़ पीड़ित का मुफ्त ईलाज करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं । इसके अलावा, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के तहत एसिड हमले के पीड़ित को राज्य पीड़ित मुआवजा स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2016 से 1.00 लाख रूपए की राशि दी जा रही है ।

(ड) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए संशोधित स्कीम सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को क्रियान्वयन के लिए परिचालित कर दी है । गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की सलाह दी है ।

उपरोक्त के अलावा, न्याय पाने की सुविधा के लिए निर्भया फंड से वित्त पोषित बलात्कार एवं एसिड हमले सहित वन स्टॉप सेंटर और हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला हैल्पलाइन की स्कीमें भी 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रहीं हैं । इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बलात्कार के पीडितों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह स्कीम का भी प्रबन्धन कर रही है ।

*****